



चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड २५.२० करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए- आर अश्विन

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरान ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6-0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याभार नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच हुए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ ३-० से मैच जीता। मैच के ८वे एवं ७8 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के ८९ वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे की टीम को ३-० से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1-

0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने

विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापंक्ति को छकाते हुए शानदार गोल करे बढते को २-० से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढत बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के ६२ वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइडल क्रिक से गोल करे के बढत ३-० कर दी। इसके बाद ७२ वे मिनट मे नीरज ने और ८१ वे मिनट मे मिलन और ८२ वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को ६-० से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ द मैच चुना गया ।

एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन- १ में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स

क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ३७.२ ओवर में २४० रन १० विकेट के नुकसान पर बनाए। राज ने ४६ और राकेश जांगिड़ ने ३९ रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने ३ , मि्तेश जांगिड़ और नयन माली ने दो- दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने २७.३ ओवर में २४३ रन ५ विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली। पुखराज कुमार ने १०४ और पंकज जांगिड़ ने ६१ रनों का योगदान दिया। केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेद्र यादव और

राहुल सैनी ने दो-दो विकेट लिया।मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ३८.५ ओवर में ३०० रन १० विकेट के नुकसान पर

बनाए। आदित्य झाला ने ६५, हार्दिक ने ६१ और अभिषेक यादव ने ५५ रनों का योगदान दिया।कैडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैडलविक क्रिकेट अकादमी ३२ ओवर

में १८१ रन पर ऑल आउट हो गई। मेहुल सिंह ने सर्वाधिक ५९ रनों का योगदान दिया।

संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

 	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर, रेवेराइट www.energy.rajasthan.gov.in/avnvl			
विद्युत अधिनियम २००३ के अनुच्छेद ६४(२) के अन्तर्गत सार्वजनिक सुचना			
सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम २००३ के अनुच्छेद ६२ और ६४ संप्रदित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनियन्त्रन की निबन्धन व शर्तों) विनियम २०१९ सम्मानानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनियन्त्रियन की निबन्धन व शर्तों) विनियम २०२५ तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम २००६ के अन्तर्गत विद्य. २०२४-२५ की समग्र राजस्व आवश्यकता की दृष्टि-अप, विद्य. २०२६-२७ के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है। याचिका की प्रतियाँ निम्नलिख / अवलोकन के लिए और रु. २०० /- के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं। १. अनुज्ञापिका की मुख्यालय- विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर। २. कार्यालय सूचना आयोग (मुख्यालय), अविधिविनि-1- ब्याँक-आई, हाथीभारटा पॉवर हाऊस, अजमेर-3०5००१। ३. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर / ब्यावर / भीलवाडा / उदयपुर / सलुम्बर / बुध्नु नु / नागौर / सीकर / थिरीडगढ / बांसवाड़ा / राजसमन्द / डूंगरपुर / प्रतापगड / डीडावना-कुद्यामन स्थित कार्यालय। याचिका www.energy.rajasthan.gov.in/avnvl (अजमेर डिस्काम की वेबसाइट) और आरईआरसी की वेबसाइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव-दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक २६.१२.२०२५ (रुज्जवार) को सभानगर, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर १२ बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति निम्नत दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते हैं।			
टिप्पणी- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष २०२६-२७ के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अन्तर्गत व्यय २७२ करोड़ रुपये हैं। हालाँकि, पुंजी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटल) मोड पर लागू किया जाना है। डिस्कॉम ने क्रॉस सक्स्ट्री शुल्क, डब्लिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं-			
तालिका ६: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित क्रॉस सक्स्ट्री अधिभार			
वर्ग	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (र./किलोवाट घंटा)	
व्द औद्योगीयिक	१३२	१.७५	
	३३	१.७५	
	११	१.७५	
	१३२	१.७५	
	३३	१.७५	
मिश्रित भार- एघटी	१३२	१.७५	
	३३	१.७५	
	११	१.७५	
	१३२	१.७५	
	३३	१.७५	
अघरेलू,एघटी	११	१.७५	
तालिका ७: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित डब्लिंग शुल्क			
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)		
१३२ केबी वोल्टेज स्तर पर डब्लिंग चार्ज	०.०१		
३३ केबी वोल्टेज स्तर पर डब्लिंग चार्ज	०.११		
११ केबी वोल्टेज स्तर पर डब्लिंग चार्ज	०.६३		
कम वोल्टेज स्तर पर डब्लिंग चार्ज	२.४९		
तालिका ८: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार			
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)		
ग्रीन टैरिफ (र./किलोवाट घंटा)	०.००*		
तालिका ९: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क			
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)		
ग्रीन टैरिफ (र./किलोवाट घंटा)	०.००*		
* टिप्पणी:- डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।			
डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:-			
१. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एघटी-३) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी- मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में ६५० पैसे (६.५० रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एघटी-३ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क ६.३० रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एघटी-३ उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद ६.०० रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर ६५० पैसे प्रति यूनिट पर अपरििवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने और अधिक प्रतियर्धी दरें उपलब्ध करना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यों को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रुझानों के अनुरूप होगी।			
२. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना।डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-अप-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट्स मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और अधिक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, इन उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक- घंटों के सर्चार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुपयोग अनुभूति हो जाता है।			
३. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआत।विद्युत मंत्रालय ने १७.०९.२०२४ को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किया। उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड ९ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अनिवार्य किया गया है, जो ३१.०३.२०२८ तक श्रेणी की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह ९ बजे से शाम ४ बजे तक) के दौरान ०.७ गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान १.३ गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, विकरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निष्ठित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।			
४. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा १७ में संशोधन का प्रस्ताव- डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा १७ में वर्तमान में कहा गया है कि सेवा कि नीचे दिया गया है-			
“यदि एमआईआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक ५० केबीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एघटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर ११ केबी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।”			
डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा १७ में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें “दो बार से अधिक” वाक्यांश को “तीन बार” से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें “दो बार से अधिक” का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। TCOS-२०२१ के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से ५% से अधिक मांग होने पर बढाव लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा १७ की TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकस्पता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।			
५. ५ किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैबों का विलय।याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा गैर-घरेलू (एनडीएस) टैरिफ संरचना जटिल है और इससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।। पारदर्शिता बढ़ाने और टैरिफ के आवेदन को सरल बनाने के लिए, डिस्कॉम ने २०० यूनिट तक के गैर-घरेलू खपत स्लैब को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, ५ किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए, डिस्कॉम ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संशोधित एकीकृत टैरिफ संरचना का प्रस्ताव दिया है।			
गैर-घरेलू सेवा	मांग/निष्ठित शुल्क (र./रूनिट)	ऊर्जा शुल्क (र./यूनिट)	
५ किलोवाट तक के एससीएस के लिए एनडीएस एनडीएस प्रकार १			
प्रति माह पहले १०० यूनिट तक की खपत	35०	७.००	
प्रति माह १०० यूनिट से अधिक और २०० यूनिट तक की खपत।		८.५०	
एनडीएस प्रकार २			
प्रति माह पहले १०० यूनिट तक की खपत		७.००	
प्रति माह १०० यूनिट से अधिक और २०० यूनिट तक की खपत।	4५०	८.५०	
प्रति माह २०० यूनिट से अधिक और ५०० यूनिट तक की खपत		९.५०	
एनडीएस प्रकार ३			
प्रति माह पहले १०० यूनिट तक की खपत		७.००	
प्रति माह १०० यूनिट से अधिक और २०० यूनिट तक की खपत।	७००		
प्रति माह २०० यूनिट से अधिक और ५०० यूनिट तक की खपत		८.५०	
प्रति माह ५०० यूनिट से अधिक की खपत			
६. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट टैरिफ के लिए निष्ठित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करना- डिस्कॉम ने बताया कि वित्त वर्ष २०२५-२६ के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निष्ठित शुल्क बहुत अधिक हैं। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रमुख व्यवस्था के लिए प्रमुख नगर विकास और स्थानीय प्रधिकरणों पर प्रतिवृत्त प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई हेल्वे पॉइंट होते रहते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निष्ठित शुल्क प्रति लैव पॉइंट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निष्ठित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर विकासों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है-			
सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट	मांग/निष्ठित शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनिट)	
जनसंख्या <१ लाख	प्रति लैव पॉइंट १५० रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन	७.००	
	प्रति माह अधिकतम ३००० रुपये के अधीन।		
जनसंख्या > १ लाख	प्रति लैव पॉइंट २०० रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन	७.५०	
	प्रति माह अधिकतम ८००० रुपये के अधीन।		
टिप्पणी:- याचिका में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।			
राज.संवाद (सी)/२५/१५९९७	अधिवाणी अभियंता (RA&C) याचिकाकर्ता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता		

लियोनेल मेस्सी

राष्ट्रदूत कोटा, १८ दिसम्बर, २०२५

५

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं आविश्चरसनीय रही। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौर के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है !''

क्या आप जानते हैं ?... विराट कोहली की २०२५ में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने ६५१ रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ ८ गोल किये

जयपुर, १७ दिसम्बर। पीपीसी पोलो टाउंड

पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच हुई अली ने १ गोल और लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए ८ गोल कर टीम को जीत दिलाई।

की ओर से सिद्धांत शर्मा और फ्रेडरिक ने २-२ गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को ४.५ गोल और लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए ८ गोल कर टीम को जीत दिलाई।

 	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
नया बाघ हाउस, बरानी, जोधपुर, रेवेराइटwww.energy.rajasthan.gov.in/jdvnnl			
विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा ६४ (२) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना			
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत निगमक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा ६२ और धारा ६४ के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों) विनियम, २०१९ (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों) विनियम, २०२५ और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, २००६ के अनुसार, वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है। याचिका की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/घटन के लिए उपलब्ध हैं और २०० रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती है। १. लाइसेंसिंग का मुख्यालय -यूपवार हाउस, बरानी, जोधपुर। २. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बाकमेर/डूंगरगढ/श्रीगंगानगर/बीकानेर/पूरु/बांसीर/बांसीर/एफलोदी। यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। www.energy.rajasthan.gov.in/jdvnnl और आरईसी की वेबसाइट पर भी। www.rerc.rajasthan.gov.in जेडीवीवीएनएल द्वारा दिनांक २४.१२.२०२५ को सुबह ११:०० बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के समलत कक्ष में याचिका की ऑडियो-विडुओ प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं। टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम २०२१ के प्रकर-३ में एक शायप-पत्र के साथ छह प्रतियों में पावरऑल अधिकारी, आरईआरसी, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-३०२००१ के पास प्रेषण कर सकते हैं, ताकि यह ०६.०१.२०२६ तक प्राप्तावर्त अधिकारी तक पहुंच जाए। वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दायर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या २३८०/२५):			
तालिका १: वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)			

क्र.	विवरण	जेडीवीवीएनएल अनुमत	दू अप के लिए दावा किया गया
१	आय		
२	बिजली की बिक्री	२०६६२	२०७६८
३	वित्तीय वर्ष २०२२-२३ की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष २०२३-२४ की पहली तिमाही के लिए एफएसएस की वसूली	१४३७	
४	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	०	१६०
५	गैर-टैरिफ आय/अपकेट आय (आरसीपीएन/आरसीभूतन के दू-अप केडेट सहित)	४०६	११८८
६	डब्लिंग शुल्क, क्रॉस सक्स्ट्री अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय	१	२
७	कुल राजस्व (अ)	२२५०६	२२११८
८	व्यय		
९	प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत	१६९७४	१९९९५
१०	संचालन एवं रखरखाव व्यय	१६३६	१३६१
११	टर्मिनल लाभ	३७०	१२५०
१२	मूल्यहास	७०६	१०९१
१३	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित)	६६६	१४३५
१४	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	२४९	२५८४
१५	वित्तिकोम परिसंपत्तियों पर ब्याज	१९८१	
१६	यदि कोई अशोध ऋण माफ किया गया हो तो	०	३४
१७	बीमा व्यय	२६	०.५०
१८	अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मीटो सहित)	०	(३५१)
१९	कुल व्यय (ARR) (B)	२२६६०	२७३९९
२०	अधिषेय / (अंतर) (C=A-B)	(१०३)	(५२८१)
२१	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सक्स्ट्री/अनुदान		
२२	धारा ६५ (१) के अंतर्गत दी जाने वाली सक्स्ट्री के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सक्स्ट्री	२६	५५
२३	एफआरसी योजना (डी) के तहत हानि अनुदान	७७	२४८५
२४	अनुदान के बाद राजस्व अधिषेय/(अंतर) (F=C+D+E)		(२७४१)
२५	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)	०	२३७
२६	असाधारण आय/(व्यय) (एच)	०	२७८९
२७	युद्ध राजस्व अधिषेय / (अंतर) (F+G+H)	०	(१८८)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६-२७
१	बिजली खरीद व्यय	१८१२३
२	संचालन एवं रखरखाव व्यय	
२.१	कर्मचारी व्यय	१३७३
२.२	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	१६९
२.३	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	५४९
२.४	टर्मिनल लाभ	१३२६
३	मूल्यहास	१७९६
४	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित)	१६६४
५	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	२६४
६	वित्तियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	१५६